SC/ST Case no. 33/2014 (चरपोखरी थाना काण्ड संख्या 96 सन् 2012)	
सूचक	राज्य द्वारा :– राम अवतार प्रसाद, पे0 – स्व0 राजरूप राम मुशहर, ग्राम – धनौती, थाना – चरपोखरी, जिला – भोजपुर।
द्वारा प्रस्तुत	अभियोजन की तरफ से :– श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, विशेष लोक अभियोजक ।
अभियुक्तगण	1. सुनील सिंह, उम्र – 47 वर्ष, पे0 – रामासन प्रसाद, ग्राम – नगरी, थाना – चरपोखरी, जिला – भोजपुर।
द्वारा प्रस्तुत	अभियुक्तगण की ओर से :– श्री संजय कुमार राम, विद्वान अधिवक्ता।

घटना की तिथि	02.07.2012.
प्राथमिकी की तिथि	12.06.2012.
आरोप पत्र की तिथि	12.07.2012.
आरोप विरचना की तिथि	11.11.2014.
साक्ष्य के प्रारंभ होने की तिथि	29.11.2016.
निर्णय तय करने की तिथि	05.06.2026.
निर्णय की तिथि	05.06.2026.
सजा आदेश की तिथि, यदि कोई हो	----------

अभियुक्तगण का विवरण

अभियुक्त का रैंक	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर छूटने की तिथि	आरोपित अपराध	दोषमुक्त या दोषसिद्ध	आरोपित सजा	धारा 428 द0प्र0स0 के प्रयोजनों के लिए विचारण के दौरान निरोध की अवधि
ए–1.	सुनील सिंह	20.07.2012	17.08.2012	341, 323, 504 भा0द0वि0 एवं धारा 3 (1)(x) एस0सी0/एस0टी0 अधिनियम, 1989	दोषमुक्त	–	–

निर्णय

1. प्रस्तुत वाद में अभियुक्त सुनील सिंह के विरूद्ध अंतर्गत धारा 341, 323, 504 भा0द0वि0 एवं धारा 3(1)(x) एस0सी0/एस0टी0 अधिनियम, 1989 के लिये विचारण किया गया है।

2. प्राथमिकी के अनुसार, संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 02.07.2012 को साढे नौ बजे जब सूचक नगरी गांव में वृद्धापेंशन स्वीकृति

पत्र बाटने के लिये निकले थे तो सुनील सिंह मेरे साथ जाति सूचक कहते हुए गाली–गलौज किये कि तुम मुशहर साला हरामी कही का तु वृद्धा पेंशन फॉर्म बाटेगा कहते हुए फॉर्म छिनने लगा। जब सूचक ने इसका विरोध किया तो सुनिल सिंह सूचक का कॉलर पकडकर दो चार थप्पड मार दिये। इसके बाद सुनील सिंह सूचक को गोला पर ले गये जहा से सुनील सिंह ने नन्दन साह के होटल से छनबटा उठा लिये और सूचक को बोले की तुम्हें जान से मार दुंगा।

3. सूचक के लिखित आवेदन के आधार पर चरपोखरी थाना काण्ड संख्या 96 सन् 2012 दिनांक 12.06.2012 अंतर्गत धारा 341, 323, 504 भा0द0वि0 एवं धारा 3(1)(x) एस0सी0/एस0टी0 अधिनियम, 1989 के अधीन अभियुक्त सुनील सिंह के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज किया गया। अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधान पश्चात् अभियुक्त सुनील सिंह के विरूद्ध घटना को सत्य पाकर आरोप पत्र संख्या 89/12 दिनांक 31.07.2012 अंतर्गत धारा 341, 323, 504 भा0द0वि0 एवं धारा 3(1)(x) एस0सी0/एस0टी0 अधिनियम, 1989 के दण्डनीय अपराध में न्यायालय में समर्पित किया गया। इस मामले में अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 04.03.2014 को अपराध का संज्ञान लिया गया।

5-6-2026

4. अभियुक्त सुनील सिंह के विरूद्ध दिनांक 11.11.2014 को धारा 341, 323, 504 भा0द0वि0 एवं धारा 3(1)(x) एस0सी0/एस0टी0 अधिनियम, 1989 में आरोप विरचित किया गया। विरचित आरोप अभियुक्त को हिन्दी में पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिस पर अभियुक्त द्वारा आरोप से इंकार किया गया व विचारण की मॉग की गयी।

5. इस मामले में अभियोजन साक्षीयों के परीक्षण के उपरांत, न्यायालय द्वारा धारा– 313 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन उपरोक्त अभियुक्त सुनील सिंह का बयान दिनांक 05.06.2026 को अंकित किया गया जिसमें अभियुक्त ने अपने को निर्दोष बताया।

6. प्रस्तुत वाद में मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्तगणों के विरूद्ध लगाये गये आरोप को युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करने में सफल रहा है?

मंतव्य

7. इस वाद में अभियोजन पक्ष ने कुल एक साक्षी यथा अभियोजन साक्षी संख्या 1. शिवनन्दन साह को प्रस्तुत करके परीक्षित कराया है।

8. अभियोजन साक्षी संख्या 1. शिवनन्दन साह ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। पुलिस में मेरा बयान नहीं हुआ था। इस साक्षी को अभियोजन के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

साक्षी ने बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण में कहा है कि स्वेच्छया गवाही दिया हूँ।

9. इस मामलें में राज्य की ओर से विद्वान् विशेष लोक अभियोजक द्वारा अंतिम बहस में कहा गया कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के माध्यम से अभियुक्त पर आरोपित आरोंपो को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है। अतः उनके द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया गया।

10. बचाव पक्ष की ओर से अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता का अंतिम बहस में कहना है कि प्रस्तुत मामले में अभियोजन पक्ष के द्वारा कुल एक साक्षी को परीक्षित कराया है। अभियोजन साक्षी द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है। प्रस्तुत मामला साक्ष्यविहिन है। अतः साक्ष्य के अभाव में अभियुक्त के दोषमुक्त किये जाने की प्रार्थना करते है।

परिशीलन (Discussion)

11. उभय पक्षों के तर्कों को सुना तथा अभिलेख का सम्यक अवलोकन व परिशीलन किया गया।

12. आपराधिक विधि का यह स्थापित नियम है कि अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने का दायित्व अभियोजन पक्ष पर होता है। इस संबंध में अभियोजन पर अपने मामले को सिद्ध करने का उतना ही भार रहता है, जितना एक व्यक्ति उस पर युक्तियुक्त विश्वास कर सके, इससे अधिक नही।

13. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों से दर्शित है कि अभियोजन पक्ष के द्वारा एक साक्षी को परीक्षित कराया गया है। अभियोजन पक्ष ने पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद अनुसंधानकर्ता व अन्य गवाह को न्यायालय में प्रस्तुत करा परीक्षित नही कराया है।

14. अभिलेख पर उपलब्ध अभियोजन साक्षी संख्या 1 की साक्ष्य समीक्षा से दर्शित होता है कि अभियोजन साक्षी संख्या 1 ने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि घटना के बारे में उसे जानकारी नहीं है। पुलिस में उसका बयान नहीं हुआ था। इस साक्षी को अभियोजन के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया है। साक्षी ने बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण में कहा है कि स्वेच्छया गवाही दिया है।

अभियोजन के निवेदन पर अभियोजन साक्षी संख्या 1 को पक्षद्रोही घोषित किया गया है एवं उक्त साक्षी का साक्ष्य महत्वहीन प्रतित होता है।

इस प्रकार समग्र समीक्षा से पाता हूँ कि अभियोजन साक्षी संख्या 1 साक्ष्यविधि की दृष्टि में महत्वहीन है तथा प्रस्तुत मामला साक्ष्य विहीन है।

15. इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों, साक्ष्यों एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के सम्यक समीक्षा के उपरांत यह पाता हूँ कि चूंकि आपराधिक मामले में सबुत का भार सदैव अभियोजन पर होता है एवं आपराधिक मामले में जितना गंभीर अपराध हो, उतना ही स्पष्ट एवं कठोर साक्ष्य आना आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त आपराधिक विधि का यह सुस्थिर सिद्धांत है कि संदेह कितना भी प्रबल क्यो न हो,

वह सबुत का स्थान नहीं ले सकता। इसी प्रकार यह भी सुस्थित सिद्धांत है कि संदेह का लाभ सदैव अभियुक्त को दिया जाना सही होता है। अतएव यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अभियोजन अभियुक्त सुनील सिंह के विरूद्ध अंतर्गत धारा 341, 323, 504 भा0द0वि0 एवं धारा 3(1)(x) एस0सी0/एस0टी0 अधिनियम, 1989 के अपराध से युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में विफल रहा है। अतः अभियुक्त सुनील सिंह को साक्ष्य के अभाव में आरोपित धारा 341, 323, 504 भा0द0वि0 एवं धारा 3(1)(x) एस0सी0/एस0टी0 अधिनियम, 1989 के अपराध से उन्हें संदेह का लाभ प्रदान करते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

16. उपस्थित अभियुक्त सुनील सिंह जमानत पर है। अतः उसे उसके जमानत व बंधपत्र के सभी दायित्वों से मुक्त किया जाता है।

निणर्य आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय
में हस्ताक्षरित, दिनांकित, उद्घोषित
एवं शुद्धिकृत किया गया।

Shailendra Kumar Pandey

(शैलेन्द्र कुमार पांडा) 5-6-2026
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
भोजपुर, आरा।

लेखापित

Shailendra Kumar Pandey

(शैलेन्द्र कुमार पांडा) 5-6-2026
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
भोजपुर, आरा।

न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भोजपुर
सत्यमेव जयते
आरा